**कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना**

†**श्री आबिद अली** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन १९ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २१८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

मैं १६ फरवरी, १९५७ के एस० आर० ओ० संख्या ५२९ की भी एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

**[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एस० ५०/५७]**

**नियम समिति का कार्यवाही सारांश**

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला—भटिण्डा): मैं १९ मार्च, १९५७ को हुई नियम समिति की बैठक की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

**अड़सठवां प्रतिवेदन**

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला—भटिण्डा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का अड़सठवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

---

## ‡अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर का संशोधन

---

## कार्यमंत्रणा समिति

**अड़तालीसवां प्रतिवेदन**

† **संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन से, जो १९ मार्च, १९५७ को सभा में उपस्थिपित किया गया था, सहमत है।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

**श्री कामत** (होशंगाबाद) : क्या यह सत्र २८ मार्च को अवश्य समाप्त हो जायेगा ?

**अध्यक्ष महोदय** : जी हां। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन से, जो १९ मार्च, १९५७ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

## राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव——जारी

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा २० मार्च, १९५७ को श्री व० बा० गांधी द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगी :—

"कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो कि उन्होंने १८ मार्च, १९५७ को समवेत संसद् के दोनों सदनों के समक्ष देने की कृपा की है, अत्यन्त आभारी हैं।"

---

† मूल अंग्रेजी में

‡ **देखिये** वाद विवाद भाग १, २१ मार्च १९५७, स्तम्भ——

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण जिस पर इस सभा में चर्चा होती रही है, लगभग एक वर्ष की अवधि के सम्बन्ध में है। पर हम इस अभिभाषण पर इस रूप में चर्चा कर रहे हैं जैसाकि वह एक अधिक लम्बी अवधि के लिए हो अर्थात् इस संसद् का पूर्ण कार्यकाल; इस प्रकार के अभिभाषण पर विचार करने के लिए इस संसद् का यह अन्तिम अवसर है और हमारे सामने एक पांच वर्षों से भी अधिक समय का, यानी स्वतंत्रता मिलने से अब तक का समय, क्षेत्र खुला हुआ है।

यह ठीक है कि माननीय सदस्यों को हमारी घरेलू या अन्तर्राष्ट्रीय नीति या इस समय होने वाली किसी घटना या अन्य किसी बात की छानबीन उसकी आलोचना या उसकी निन्दा करनी चाहिए। पर, साथ ही साथ, यह अधिक आवश्यक है कि हमें एक इस सम्पूर्ण अवधि पर ध्यान रखना चाहिए कि इस देश के भाग्य को, चाहे राजनतिक क्षेत्र हो या आर्थिक या सामाजिक हो, स्वरूप देने में मुख्य मुख्य शक्तियां किस प्रकार कार्य करती रही हैं। उस संसद् का उच्च प्रयोजन पक्के आधार पर लोकतन्त्र की स्थापना के लिए भारत के इतिहास के नये अध्याय की नींव डालना और उसे आरंभ करना; समाजवाद की ओर भारतीय जनता को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना और परिश्रम करना; अपने सामने रखे आदर्श को प्राप्त करने के लिए कदम कदम आगे बढ़ कर निकट भविष्य में भारतीय जनता के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना है। अतः मैं अपील करूंगा कि इस अवसर पर विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि सीमित दृष्टिकोण को छोड़ दिया जाय बल्कि इसलिए कि यदि हम उसके विस्तृत तथा महान् स्वरूप को सामने रखेंगे तो उसके एक छोटे या सीमित स्वरूप को समझने में हमें अधिक आसानी होगी।

मेरा विचार यह यहीं है कि वाद-विवाद के इस प्रक्रम पर मैं पिछले १० वर्ष या ५ वर्ष के इतिहास को दोहराऊं। मैं सभा का ध्यान केवल इस विस्तृत दृष्टिकोण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रायः हम इधर उधर की बातों में पड़ कर मुख्य बात को छोड़ देते हैं। ऐसा करते समय यानी हमारी घरेलू या अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर विचार करते समय यह अधिक लाभदायक होगा कि हम देखें कि संसार में अन्य स्थानों पर क्या परिवर्तन हुये हैं; दूसरे महायुद्ध के बाद संसार का स्वरूप किस प्रकार बदला है; हमें यह भी देखना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुये हैं एशिया में, क्या क्या घटनायें हुई हैं जिसने महायुद्ध के बाद महान् शक्ति तथा उत्साह का प्रदर्शन किया है; हमारे पड़ौसी देशों में तथा एशिया के अन्य देशों में क्या क्या घटनायें हुई हैं। इस प्रकार हम एक अच्छा मापदण्ड बना सकेंगे यह देखने के लिये कि हमें कितनी सफलता मिली है तथा कितनी सफलता नहीं मिली।

यह एक सरल और ठीक बात है कि हम अपनी गति को बढ़ाने के लिये, अपनी बुराइयों को दूर करने के लिये, अपनी शिथिलता, अपनी कार्य निपुणता की कमी तथा अन्य बातों के प्रति अधीर हों। ठीक है हमें सदैव अधीर रहना चाहिए। हमें कभी भी पूर्ण प्रकार संतुष्ट नहीं होना चाहिए। फिर भी अधीरता का सतुलन बनाये रखने के लिए हमें यह विस्तृत स्वरूप अपने सामने रखना चाहिये और यह देखना चाहिए कि हमारे आसपास के देश में क्या क्या घटनायें हुई हैं। क्यों लगभग इसी प्रकार की समस्यायें अन्य देशों को भी सुलझानी पड़ती हैं; पर प्रत्येक देश की समस्यायें अलग अलग होती हैं उनके आधार तथा उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। पर सारा संसार एक तार में गुथ कर बहुत नजदीक आ गया है और उसी प्रकार की समस्यायें तथा वही बुराइयां सारे संसार पर छाई रहती हैं।

मैं इस सभा के माननीय सदस्यों के समक्ष यह विचार इसलिए कर रहा हूं कि इस विस्तृत दृष्टिकोण को ध्यान म रखने से हम मालूम होता है कि इस संसद् ने पिछले पांच वर्षों में और इसके पूर्व वाली संसद ने भी, यानी पिछले १० वर्षों में भारत तथा भारत की जनता की सफलता केवल पर्याप्त ही

† मूल अंग्रेजी में

नहीं रही है बल्कि चकाचौंध कर देने वाली रही है। साथ ही साथ मैं इस अवधि में हुई अपनी असफलताओं को भी नहीं भूलता। पर मैं समझता हूं कि हमें अपनी सफलताओं पर ही या असफलताओं पर जोर नहीं देना चाहिए। हमें दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। न्यायपूर्वक देखने पर हम कह सकते हैं कि हमने राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में उन्नति की है। क्योंकि मेरा विश्वास है कि कोई भी देश आज प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि वह इन सभी क्षेत्रों में साथ साथ प्रगति नहीं करता।

हम में से अधिकांश लोग, चाहे वह सरकारी दल के हों चाहे विरोधी दल के हों, वर्षों तक भारत की स्वतन्त्रता के युद्ध में रत रहे हैं। हमने भारत में क्रान्ति की और संसार जानता है कि यह एक बड़ी क्रान्ति थी पर शान्तिपूर्ण थी। यद्यपि उसका स्वरूप बदल गया और उसके उपाय भिन्न थे पर फिर भी हमने क्रान्ति की। यद्यपि उसका एक राजनैतिक पहलू पूरा हो गया है पर मैं समझता हूं कि क्रान्ति अभी समाप्त नहीं हुई है। हमने हमेशा विचार रखा है कि हमें तो आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में भी क्रान्ति करनी है। हो सकता है हमारे उपाय तथा साधन भिन्न भिन्न रहे हों, हो सकता है हमारे विचारों में मतभेद रहा हो। मोटे तौर पर हम सभी सहमत थे और हमने इस राजनैतिक क्रान्ति को आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में भी फैलाया। सब लोग नहीं पर हममें से अधिकांश लोग बीती हुई घटनाओं के आधार पर एकमत हो गये थे जैसे कि सम्पूर्ण देश एकमत था। जब हम लोगों ने इस नये काम की जिम्मेदारी ली उस समय, हम चाहे उस समय कितने ही कम योग्य क्यों न रहे हों, पर हमारे देश में उस समय भी क्रान्तिकारी या अर्धक्रान्तिकारी आधार था। मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि लोग, हमारे देश के लोग नहीं बल्कि विदेशों के लोग, यह भूल गये हैं कि हम अब भी उस क्रान्ति के सैनिक हैं। हम सभी उसके सम्बन्ध में एक मत हो चुके हैं। हम उसे भूल जायें, हम कमजोर हो जायें, या हम मार्ग में गिर पड़ें या फिसल जायें, यह बात दूसरी है। ऐसे एक देश में जिसने क्रान्तिकारी उपायों से, शान्तिपूर्ण हो या नहीं, स्वतन्त्रता प्राप्त की है, और ऐसे एक देश में जिसे आकस्मिक रूप में स्वतन्त्रता मिल गई हो, अन्तर है। क्रान्तिकारी उपाय लोगों पर नियन्त्रण रखता है और उनके चरित्र, उनकी विरोध शक्ति और आगे बढ़ने की शक्ति और उनकी त्याग क्षमता आदि पर भी नियंत्रण रखता है। यह सच है कि क्रान्ति का विस्फोट होने के बाद प्रायः देखा जाता है कि वही क्रान्ति प्रायः क्रान्ति करने वाले लोगों को नष्ट कर देती है और इसी प्रकार की क्रियायें तथा प्रतिक्रियायें होती हैं। यह मुख्य मुख्य बातें थीं जिनसे हम गुजर चुके हैं। जब अन्य देश के लोग हमारे बारे में विचार करते हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि हम भारतीय क्रान्ति के सैनिक हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें किसी अचानक घटना के परिणाम स्वरूप स्वतन्त्रता मिली हो और हमारे साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसा कि प्रायः अन्य देशों के साथ किया जाता है क्योंकि उनको स्वतन्त्रता दैवयोग से या भारत की स्वतन्त्रता के संघर्ष के परिणामस्वरूप मिली है।

यह महत्वपूर्ण अन्तर केवल भूतकाल पर ही नहीं बल्कि वर्तमान तथा भविष्य पर भी लागू होता है। चूंकि हमें परिवर्तन लाना है। अतः हमें उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। हमारा ध्यान आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनों तथा नवीन भारत की उन्नति तथा निर्माण पर केन्द्रित है। अन्य प्रत्येक बात हमारे लिए गौड़ है। अन्य बातों का हमारे सामने उतना ही महत्व है जितना कि वे हमारे मूल प्रयोजन पर प्रभाव डालती हैं। हम विदेशों में होने वाले अनेक परिवर्तनों से अपने को अलग नहीं रख सकते क्योंकि उनका उन कामों से घनिष्ट सम्बन्ध है जो हम करते हैं। हम संसार से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते। इतना होते हुये भी हमारा मुख्य उद्देश्य भारत को सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से और यथाशीघ्र तथा तेजी से ऊंचा उठाने के काम को चलाते रहना है, हम यह भी जानते हैं कि इसके लिये कठिन परिश्रम, त्याग, तथा समय की आवश्यकता होती है। यह काम जादू के प्रभाव से नहीं किया जा सकता।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

यह एक दिलचस्पी का विषय होगा यदि हम उन देशों की ओर देखें जो हमारे मित्र हैं या हम जिनका हित चाहते हैं। हमने लोकतन्त्र का निर्माण करना शुरू किया हमने समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाया। हमने उच्चस्तर पर पहुंचने का उद्देश्य निश्चित किया। हमने कल्याणकारी राज्य बनाने का उद्देश्य बनाया। हम लोग लोकतन्त्रात्मक स्वरूप की रक्षा करते हुये कितने आगे पहुंच चुके हैं, हो सकता है उतना आगे न पहुंच सके हों जितना कि माननीय सदस्य उचित समझते हैं, फिर भी हम उतनी उन्नति कर चुके हैं जितनी उन्नति कोई भी देश इन परिस्थितियों में कर सकता है। लोकतन्त्रात्मक होने का दावा करने वाले देशों की ओर भी देखिए। उनमें से कितने देशों में लोकतन्त्र का आवरण भी है, उसकी आत्मा की बात को तो छोड़ दीजिए। ऐसे भी देश दुनिया में बहुत थोड़े हैं। कम से कम एशिया में तो बहुत ही कम हैं। उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। हमारा पड़ौसी देश पाकिस्तान जिससे हम मित्रता रखते हैं, इतना होने पर भी लोकतन्त्रात्मक उपाय से काम चलाने में असमर्थ है।

आज सुबह की खबर है कि पश्चिमी पाकिस्तान में संविधान को वहां के राष्ट्रपति (प्रेसीडेंट) ने निलम्बित कर दिया है। धारा १९३ के अधीन उसे निलम्बित किया गया है और पश्चिमी पाकिस्तान में कोई संविधान काम नहीं कर रहा है मैं सहानुभूति प्रकट करता हूं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान की जनता तथा पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार के साथ सहानुभूति प्रकट कर रहा हूं मैं यह बताना चाहता हूं कि लोकतन्त्र को आवरण बनाने के लिए पाकिस्तान को कितनी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। मैं लोकतन्त्र की आत्मा की बात नहीं कहता क्योंकि उसको प्राप्त करना तो बहुत ही कठिन है।

दो या तीन वर्ष पूर्व पूर्वी पाकिस्तान में निर्वाचन हुये और एक दल को बड़ा बहुमत प्राप्त हो गया था और दो या तीन महीने बाद ही वहां संविधान को निलम्बित करना पड़ा था। मैं यह नहीं कहता कि वह उचित था या नहीं। मैं तो केवल यह बताना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी राज्य को प्रारम्भिक रूप में भी लोकतन्त्रात्मक ढंग पर काम करने में कितनी कठिनाई उठानी पड़ी। यह सच है कि वे नियंत्रित लोकतन्त्र चाहते हैं जो कि सामान्य लोकतन्त्र से भिन्न है। आसपास के अन्य देशों को देखिए, अच्छे देशों अच्छे व्यक्तियों को देखिए जो विध्वन्सक तथा विघटनकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, वे भी अपने देश में ही लड़ रहे हैं; अनेक दल आपस में एक दूसरे से लड़ने में अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं। कुछ देश विदेशी सहायता सैनिक सहायता तथा अन्य सहायता पाते हैं और फिर भी वे अपने देश में लोकतंत्र या अच्छी सरकार की जड़ जमाने में असमर्थ हैं। हम स्वतंत्र संसार की बात करते हैं। स्वतंत्र संसार के कितने देशों में लोकतंत्र या अच्छी सरकार का आवरण है। हम सब लोग यह बातें देखते हैं। पर यदि आप भारत की ओर देखेंगे तो आप पायेंगे कि इन सभी त्रुटियों के होते हुए भी, हमारे देश में लोकतंत्रात्मक ढंग ठीक तरह चल पाई है, पूर्ण प्रकार नहीं क्योंकि संसार की कोई भी चीज पूर्ण नहीं है; और साथ ही साथ आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में हमारे देश ने जो उन्नति की है वह प्रशंसनीय है। मैं इस समय यह नहीं बताने जा रहा हूं कि हमने कितनी सफलता प्राप्त कर ली है। सभा को इस सम्बन्ध में पता है और सभा में सदस्यों के भिन्न भिन्न मत भी हो सकते हैं पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत की तुलना किसी देश से करते समय केवल भारत को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए बल्कि उन सभी महान शक्तियों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो दुनियां में अन्य देशों में काम कर रही हैं और उन देशों में उनका क्या परिणाम हुआ है जिनकी हालत बिल्कुल ऐसी ही थी जसी कि भारत की जिनको ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोकतंत्र तथा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में अपनी सफलता की तुलना को यदि हम देखें तो हमारी सफलतायें महत्वपूर्ण रही हैं। मैं सामाजिक प्रगति की बात कहता हूं क्योंकि भारत जैसे देश में लोकतंत्रात्मक ढंग से सामाजिक प्रगति करना साधारण काम नहीं है। हिन्दुओं

के कानून के सम्बन्ध में इस संसद् ने जिन विधियों का अनुमोदन किया है वह विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं क्योंकि यह एक ऐसा विषय रहा है कि इसका लोगों से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। इससे उन लोगों की सारी अकर्मण्यता दूर हो जाती है जिसमें वह रहते रहे हैं। इन अकर्मण्यताओं को दूर करना कठिन काम है।

लोग विरोध की बात करते हैं। भारत में मुख्य विरोध संसद् के विरोधी दल के सदस्यों का विरोध नहीं है बल्कि सभी प्रकार की ध्वंसात्मक तथा विघटनकारी प्रवृत्तियों तथा अकर्मण्यता का विरोध है और भारत जैसे बड़े देश में हमें इन प्रवृत्तियों का विरोध करना तथा उनसे लड़ना पड़ेगा। अतः मैं सभा से निवेदन करूंगा कि इस बात पर विचार करने के लिये कि हमें कितनी सफलता मिली है और किन किन बातों में सफलता नहीं मिली है, हमें १० वर्ष के बड़े स्वरूप को अपने सामने रखना चाहिए क्योंकि हमें अनुभव से लाभ उठाना चाहिए।

इस विस्तृत स्वरूप में वैदेशिक कार्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा सोचा गया था कि बाद के किसी वादविवाद में वैदेशिक कार्य पर विचार करना अधिक उचित होगा। मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहूंगा पर चूंकि कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर संकेत किया अतः मैं कुछ भ्रान्त धारणाओं को ठीक करने के लिए कुछ कहूंगा।

काश्मीर का प्रश्न विचार तथा चर्चा का बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है। मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता। हमने इस सम्बन्ध में काफी कह दिया है और जहां तक सरकार का सम्बन्ध है सरकार ने अपनी नीति तथा सफाई के बारे में काफी कह दिया है।

एक माननीय सदस्या ने—मैं समझता हूं श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती ने—इस सम्बन्ध में लार्ड माउण्टबेटन का उल्लेख किया कि जब यह कठिनाई पैदा हुई थी तो लार्ड माउण्टबेटन ने ही काश्मीर में सेना भेजने के काम में विलम्ब किया या रुकावट डाली। मैं उनको तथा सभा को बताता हूं कि यह बात सही नहीं है। मैं उन कठिनाई पूर्ण दिनों के व्यक्तिगत अनुभव से यह बात कह रहा हूं।

लार्ड माउन्टबेटन ने, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं—विलम्ब करने के बजाय एक सवैधानिक गवर्नर जनरल की हैसियत से ठीक ठीक काम किया। रक्षा तथा अन्य मामलों में हम प्रायः उनकी सलाह लेते थे क्यों कि वह एक अनुभवी व्यक्ति थे।

मैं एक ऐसी बात बताता हूं जो कि बिल्कुल असंगत नहीं है। विभाजन के बाद जब भारत और पाकिस्तान में गड़बड़ी फैली तो धर्मान्धिता की स्थिति तथा उस भयानक स्थिति को रोकने में हमें लार्ड माउण्टबेटन के परामर्श से बहुत सहायता मिली। उस समय हमने एक समिति बना दी थी जिसमें कुछ मंत्री, कुछ विभागों के प्रधान और सेना तथा पुलिस के कुछ प्रमुख अधिकारी थे इनकी बैठक प्रतिदिन प्रातःकाल होती थी और वह समिति सारे भारत में सैनिक संचालन का नियंत्रण करती थी—उसके पास नकशे तथा चार्ट होते थे और वह पता रखती थी कि किस स्थान पर क्या हो रहा है, देश के भीतर स्थिति क्या है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है आदि। बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति थी। उस समय साधारण सरकार की भांति काम नहीं चलाया जा सकता था अतः हमें युद्ध की स्थिति में काम करना पड़ता था—हर एक काम का निर्णय शीघ्रता से तथा तुरन्त करना पड़ता था ऐसी स्थिति में लार्ड माउण्टबेटन की सहायता से ऐसे कार्य जिनमें कई सप्ताह या महीने लग सकते थे तुरन्त निबटाये जा सके। हमारी बैठक प्रतिदिन प्रातःकाल होती थी और प्रत्येक व्यक्ति को २४ घण्टे बाद बताना पड़ता था कि काम पूरा हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति उत्तरदायी था। अतः यह कहना गलत है कि लार्ड माउण्टबेटन ने

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

विलम्ब किया। वास्तव में देर की कोई बात नहीं थी। बड़ी असाधारण स्थिति थी और हमारे विमान बल ने जो उस समय बच्चे के रूप में था, हमें काश्मीर की घटना के ४८ घण्टे बाद हमें सूचना दी। हम बहुत परेशान हो गये कि हमें क्या करना चाहिए। हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी थी अतः हमने कुछ व्यक्ति भेजे वह व्यक्ति जब आ गये तो हम दूसरे दिन सांयकाल को निश्चय कर सके कि हमें क्या करना चाहिए। हमारी प्रतिरक्षा समिति की बैठक कई घण्टे तक हुई क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था क्योंकि हमारा वहां पहुंचना बहुत कठिन था। मुझे ठीक ठीक ध्यान नहीं, २४, २५ या २६ अक्तूबर, १९४७ को ६ बजे सांयकाल को हम निर्णय कर सके कि काश्मीर को उन आक्रमणकारियों के हाथों से बचाने के लिए, जिन्होने लोगों की हत्यायें की हैं, लूटा है, प्रत्येक खतरा मोल लेना चाहिए। हमने ६ बजे सांयकाल यह निर्णय किया। इसके पूर्व हमें कुछ भी पता नहीं था। पाकिस्तान का यह आरोप गलत है कि इस प्रकार की योजना काफी पहले से तैयार थी। हमारे पास काफी विमान नहीं थे। उस सांयकाल को आने वाले असैनिक एअर लाइन्स के विमानों को हमें रोकना पड़ा और दूसरे दिन प्रातःकाल हम २५० या २६० व्यक्तियों को इन्हीं विमानों द्वारा श्रीनगर के कच्चे विमान क्षेत्र तक पहुंचा पाये। उस समय आक्रमणकारी उससे केवल ७ या ८ मील की दूरी पर थे। यदि ये लोग ३ या ४ घण्टे बाद पहुंचते तो यह विमान क्षेत्र भी आक्रमणकारियों के कब्जे में चला गया होता। यह आश्चर्यजनक कार्य किया गया। ५ बजे सांयकाल को निर्णय कर के दूसरे दिन प्रातःकाल यह लोग विमान से रवाना हो गये तो विलम्ब का प्रश्न कहां उठता है। काश्मीर पर आक्रमण होने के ४८ घण्टे के भीतर हमें खबर मिली और हमने शीघ्र से शीघ्र निर्णय किया अतः निर्णय के बाद विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता। काश्मीर के बारे में मैं और कुछ नहीं कहूंगा।

हमने साफ साफ बता दिया है कि काश्मीर के मामले में मूल बातें उसका भारत में प्रवेश तथा पाकिस्तान द्वारा उस पर आक्रमण है और इसी आधार पर इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा। यह मूल सत्य है, विधि और संविधान के अलावा यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि काश्मीर में क्या हो रहा है; हमें जम्मू और काश्मीर को भारत का एक अंग एक अभिन्न अंग मान कर इस बात पर विचार नहीं करना है बल्कि उसके अलावा हम लोग वहां की जनता के कल्याण के संबंध में चिन्तित हैं कोई भी पक्षपातपूर्ण या निष्पक्ष पर्यवेक्षक, यदि उसे काश्मीर जा कर युद्ध विराम रेखा के दोनों ओर की जनता को देखने का अवसर मिले, दोनों ओर रहने वाले व्यक्तियों की स्थिति के अन्तर को समझ पायेगा। मेरा विश्वास है कि इस व्यवस्था में यदि कोई गड़बड़ी की गयी तो उसके जो भयंकर परिणाम होंगे वे तो होंगे ही पर उसके अलावा काश्मीर की जनता नष्ट हो जायेगी। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसके और भी भयंकर परिणाम होंगे क्यों कि हम देखते हैं कि सारे पाकिस्तान में सरकार के संचालन तथा युद्ध विराम रेखा के उस पार लोगों की क्या स्थिति है। वहां सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लोक-तंत्रात्मक प्रणाली तो समाप्त हो गयी है।

यह भी कहा गया है कि हमने काश्मीर में कुछ ऐसे भी काम किये हैं जो सुरक्षा परिषद् के निर्णय के विरुद्ध हैं। पहले तो मैं प्रायः की जाने वाली इस आलोचना को लेता हूं कि हम ने इस मामले को सुरक्षा परिषद में ले जा कर गलती की। मैं नहीं जानता कि वह ठीक था या गलत पर आज १० वर्ष बाद उस बात को बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं है। यदि यही मुख्य तर्क है तो इससे हमें इस अवस्था में कोई लाभ नहीं है। पर मैं समझता हूं कि मैं ने कोई गलती नहीं की क्यों कि उस समय दूसरा रास्ता हमारे सामने यही था कि पाकिस्तान से युद्ध किया जाय। हम जानबूझ कर पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहते यदि हम उसे टाल सकते हैं तो टालेंगे और हमने ऐसा ही किया भी। इसके अलावा भी, यह कोई प्रश्न नहीं है कि हम सुरक्षा परिषद में मामले को ले गये या नहीं ले गये। अन्य लोग भी वहां अपने मामले ले जा सकते हैं। जब तक हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं हमें उसके सदस्य की हैसियत

से ही काम करना है। जब तक हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र (चार्टर) में विश्वास करते हैं हमें उसी ढंग से काम करना पड़ेगा। हम यह नहीं कह सकते कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ से हमें नुकसान होगा तो हम कहेंगे कि हम इसे नहीं मानते और जब उसका प्रभाव किसी अन्य पर पड़े तो हम कहें कि हम उसे मानते हैं। यही ऐसी स्थिति नहीं है जिसे हम माने।

हम सुरक्षा परिषद में गये। हम क्यों गये ? हमने संयुक्त राष्ट्र संघ से काश्मीर के भारत में विलय आदि का निर्णय करने के लिए नहीं कहा। एक सच्ची बात थी और हम किसी को इस संबंध में प्राधिकारी नहीं मानते कि वह विलय के बारे में निर्णय करे। हम तो सुरक्षा परिषद के पास इसलिए गये थे कि उससे कहें कि वह पाकिस्तान से कहे कि पाकिस्तान अपनी सेनायें भारत संघ के राज्य क्षेत्र से हटा ले। यही हमारा मुख्य उद्देश्य था।

हमारी आलोचना की जाती है कि हमने सुरक्षा परिषद के संकल्प की अवहेलना की है हमने उनका उल्लंघन किया है पर मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि काफी अध्ययन करने के बाद भी मैं नहीं समझ पाया कि इस का क्या मतलब है—मैं ने लोगों से कहा भी कि वे मुझे बतायें कि क्या उल्लंघन मैं ने किया है पर किसी ने मुझे नहीं बताया—खास तौर पर २४ जनवरी को पास किया गया संकल्प जो किसी गलतफहमी में पारित किया गया था उसकी स्थिति हमारे प्रतिनिधि द्वारा उनके सामने स्पष्ट कर दी गयी थी। ऐसी भी कुछ गलत फहमी थी कि २६ जनवरी को कुछ होगा। उस दिन जम्मू और काश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होने वाला था।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य के मिलाये जाने के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। मुझे तो पता नहीं कि "मिलाये जाने" का क्या अर्थ है। खैर इस का अर्थ यह है साथ मिलना—जम्मू तथा काश्मीर राज्य हमारे साथ ९ १/२ वर्ष पहले मिल चुका है। जो चीज आप के साथ पहले से ही है उसे आप बाद में नहीं मिला सकते इस बात का एक और भी पहलू है। जो लोग हम पर दोष लगाते हैं वह कभी भी यह नहीं कहते या बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि जम्मू तथा काश्मीर का लगभग आधा क्षेत्र पाकिस्तान ने छीन रखा है। हिन्दुस्तान के वहां रहने पर चाहे कुछ भी हो हमारा विचार है कि हम ठीक ही हैं। किसी ने तनिक भी नहीं कहा कि पाकिस्तान को किस तरह वहां रहने का हक है—वह वहां किस आधार पर कब्जा जमाए हुए है। यह स्पष्ट बात है कि पाकिस्तान को वहां रहने का कोई भी हक नहीं है। और फिर भी नौ साल के समय से उसने उस क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है।

इन मामलों के बारे में हमारी स्थिति स्पष्ट है—दूसरी समस्याओं के बारे म भी हमने शान्ति-पूर्ण तरीकों का सुझाव दिया है। काश्मीर के बारे में हम कोई और तरीका नहीं अपना सकते—और गोआ के बारे में भी हम उस तरीके को नहीं छोड़ सकते—हां यदि उसका उल्लंघन करें तो दूसरी बात है। यही हमारी शक्ति तथा कमजोरी रही है। मैं इस बात को मानता हूं। आखिर कार एक व्यक्ति दोहरी नीति तो अपना नहीं सकता। हां यदि हम पर आक्रमण किया जाता है तो मामला पृथक है। कुछ मित्र समझते हैं कि यह हमारी कमजोरी है कमजोरी यही थी कि हम शान्तिपूर्ण नीति पर चलते थे—हम भविष्य का भी विचार करते हैं—क्योंकि हमें दुनिया में शान्ति देखने की इच्छा है और पड़ोसी देशों से भी हम शान्तिपूर्ण व्यवहार करना चाहते हैं।

किन्तु आप दुनियां के हालात देखिये। इस दुनिया में लगातार आणविक शस्त्र बनाये जा रहे हैं और उनके प्रयोग के लिये विस्फोट किये जाते हैं और कहीं कहीं पर यकायक झगड़े आरंभ हो जाते हैं, इस प्रकार संसार युद्ध के किनारे खड़ा है। इस तथ्य को कोई नहीं भूल सकता। एक बात और भी याद रखें—हमें संसार के इतिहास में शायद पहली बार एक नयी आकस्मिकता का सामना करना पड़े। पहले जंग हुए हों, पहले चाहे दुनिया म कितने संकट आये हों—चाहे वे किसी देश में हुए या दुनिया

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

के एक बड़े भाग में हुए---किन्तु उसके बावजूद भी वहां कुछ न कुछ शेष रहा---कुछ सभ्यता, संस्कृति और वहां की जनता की परम्परायें जीवित रहीं। और युद्ध के समाप्त होने के बाद उन चीजों का फिर से विकास हुआ।

आज हमारे सामने यह स्थिति है कि शायद सर्वनाश ही हो जाये। कुछ भी शेष न रहे। यह पहली बार ऐसी समस्या हमारे सामने आई है। यह सारी समस्या सर्वनाश करने वाले उन हथियारों के कारण सामने आई हैं जो केवल बाहर से ही बर्बादी नहीं लाते बल्कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है---उनमें ऐसे तत्व हैं जो हड्डियों तथा मज्जा में प्रवेश करती है और वह रेडियेशन बहुत खतरनाक है। तुरन्त ही यह बात स्पष्ट नहीं होती---इसमें सप्ताह, महीने तथा वर्ष लगते हैं। इसी बात का हमने सामना करना है। आपकी सब समस्याये तथा वह परिश्रम जो आप उन समस्याओं को सुलझाने के लिये करते हैं---विचारधाराओं के सभी झगड़े इस बात के आगे महत्वहीन हो जाते हैं और यदि किसी तरह हम उस किनारे पहुंच भी गये तब हमारा सभी इतिहास---हमारे सभी अनुभव एकदम समाप्त हो सकते हैं।

मैं इस बात को दोबारा कहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि लोग इस खतरे को महसूस नहीं करते। वह आणविक बम की बात मजाक में लेते हैं और सभी बातों पर गंभीरता से नहीं सोचते। दुनिया के सामने जो गंभीर संकट है वे लोग इस बात को नहीं समझते। इस संभावना से मुझे मायूसी होती है---मैं समझता हूं इस खतरे को केवल चरित्र के बल पर तथा शान्तिपूर्ण तरीकों से ही रोका जा सकता है। आप एक दूसरे से बोल सकते हैं किन्तु जब आपके दिलों में एक दूसरे से घृणा है तब उन हालात में मैं समझता हूं कि यह झगड़ा कभी भी उठ खड़ा हो सकता है और प्रत्येक को नष्ट कर सकता है।

इसी कारण मैं समझता हूं कि एक दूसरे को कोसते रहने का जो तरीका है यह गलत तरीका है। मैं कोई शिक्षा नहीं दे रहा। किसी को कुछ कहने वाला मैं कौन हूं ? मैं यह नहीं कह रहा कि हम लोग इस दृष्टि से कहीं और लोगों से अच्छे हैं। मैं अपने लोगों के लिये शेखी नहीं बघार रहा। मैं अपने देश-वासियों को चाहता हूं उनसे प्रेम करता हूं मैं उन्हीं में से हूं किन्तु मैं यह नहीं कहता कि वे अधिक अच्छे हैं या ज्यादा आध्यात्मिक हैं या ज्यादा अच्छे चरित्र वाले हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। प्रत्येक देश अपनी आध्यात्मिकता तथा नैतिकता रखता है। प्रत्येक देश की किसी समय प्रगति तथा ह्रास हुआ है। हां जो कुछ भारत के पास है मैं उस की सराहना करता हूं मैं समझता हूं कि यह बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है। हो सकता है मैं अपने देश का पक्ष करता हूं। या हम सभी अपने देश का पक्ष करते हों। किन्तु हमें अपने आप को उच्चतर नहीं समझना चाहिये।

मैं नम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह एक दूसरे को कोसने तथा दोष देने का तरीका हिंसा तथा घृणा पर आधारित है जो कि बहुत बुरा है---और यदि इसे रोका नहीं गया तो इससे सर्वनाश हो सकता है।

इस तथ्य को ही लीजिये। इस आपसी दोषारोप के कारण---शस्त्र बनते जा रहे हैं---इसी डर के कारण आणविक आयुधों के प्रयोग किये जा रहे है उनका विस्फोट कर के देखा जा रहा है। कुछ दिन हुए शायद सोवियत रूस में एक आणुबम का विस्फोट हुआ था। शीघ्र ही शान्त महासागर के क्रिसमिस द्वीप में एक और विस्फोट होने वाला है। इन विस्फोटों के बारे में जापान के लोग तथा वहां के संगठन दुखभरी शिकायतें कर रहे हैं। उन्हें उन चीजों का अनुभव है। वे उस बात से बहुत डरते हैं। किन्तु हम इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं ? ऐसे प्रयोगात्मक विस्फोट होते रहें यह बड़ी दुखद बात है---वैज्ञानिकों के मतानुसार भी प्रत्येक विस्फोट से वातावरण विषाक्त होता है और खतरनाक हो जाता है।

यह बात कोई नहीं कह सकता कि वातावरण में उन विस्फोटों के परिणामस्वरूप कितनी जहर फैलती है—किन्तु प्रत्येक वैज्ञानिक जानता है कि जहर अवश्य मौजूद होती है । कुछ लोग तो कहते हैं कि विष उतनी अधिक नहीं जिससे आप मर जायें—यह थोड़ी होती है—किन्तु कुछ लोग कहते हैं कि यह आपको अधिक प्रभावित करेगी । कोई भी व्यक्ति ठीक ठीक नहीं जानता क्यों कि इस समय स्थिति ही ऐसी है । मान लीजिये इस बात में सन्देह की गुंजाइश हो—तो निश्चित रूप से एक पहलू तो इस का है ही—यह मनुष्य की नस्ल के लिये बड़ा खतरनाक है । इस दृष्टि से कि यह प्रयोग अब भी किये जा रहे हैं यह और भी अधिक दुखद मालूम होता है ।

ऐसा किस लिये किया जाता है ? हम फिर उसी कोसने तथा दोषारोप की बात पर आते हैं । हम फिर उसी बात पर आते हैं कि हम युद्धास्त्रों को इकट् ा करने—नवीनतम हथियारों को बनाने तथा सैनिक गुटबन्दियों में विश्वास करते हैं । कुछ दिन हुए दक्षिण पूर्व एशिया सन्धि संगठन के बारे में बोलते हुए किसी महाशय ने कहा था कि इस सन्धि से उस क्षेत्र में हजार वर्ष तक शान्ति कायम रहेगी । खैर वह चाहे कितना भी समय था किन्तु उसका अर्थ यह था कि उस समय तक के लिये झगड़ा चलता ही रहेगा । इसके साथ मुझे और एक बात का स्मरण आया । हिटलर ने कहा था कि जर्मनी में नाजी हकूमत एक हजार वर्ष तक कायम रहेगी ।

इसलिये एक दूसरे पर आरोप लगाने तथा सैनिक गुटबन्दियों बनाने का जो यह तरीका है यदि यह चलता रहा तो मैं समझता हूं कि यह सर्वनाश की ओर ले जायगा । मैं किसी को नसीहत नहीं करता । किसी देश को मंत्रणा देने वाला मैं कौन हूं। मैं यह जानता हूं कि कई बातें जो हम करना चाहते हैं वह नहीं कर सकते क्यों कि हमें डर है कि हम कमजोर न रह जायें । हम यह खतरा मोल नहीं ले सकते—मैं किसी दूसरे देश से भी यह खतरा मोल लेने को नहीं कह सकता । उसी के साथ यह दोषारोप की जंग तथा शस्त्रों का उत्पादन उससे भी बड़ा खतरा है ।

मैं बड़े देशों को जिन पर यह जिम्मेदारी है बड़े अदब से यह सुझाव देता हूं कि दूसरी दिशा में कार्यवाही करने का समय आ गया है—वास्तव में अवसर सदैव ही रहता है । मैं महसूस करता हूं कि एकदम बड़ी बड़ी नीतियों को तो बदला नहीं जा सकता किन्तु ऐसी कार्यवाही की जा सकती है जिससे आप उन संकटों का सामना कर सकें जिसका सामना करने को आप तैयार नहीं हैं । चाहे कदम छोटा ही हो किन्तु यह ठीक दिशा में होना चाहिये और ऐसा कोई कदम न उठाया जाये जिससे आपसी वैमनस्य और बढ़े ।

मेरे विचार में—कुछ लोग हमारे द्वारा इन गुटों की आलोचना पसंद नहीं करते । जहां तक हमारा सम्बन्ध है—चाहे वारसा पैक्ट हो, सीटो या बगदाद पैक्ट हो—हम तो यही समझते हैं कि यह सभी खतरनाक हैं और इन से पारस्परिक घृणा बढ़ती ही है । किसी भी तरह से उन में से प्रत्येक यही सोचता है कि चूंकि दूसरा पक्ष हथियार इकट्ठे कर रहा है इसलिये वह क्यों रुके—और सभी यह कहते हैं कि वे आणविक विस्फोट तभी बंद करेंगे जब दूसरे बंद करेंगे । सब यही कहते हैं और बंद कोई नहीं करता और इसी प्रकार उनका कदम उनका काम चलता रहता है ।

हाल ही में हम ने देखा है कि काश्मीर के मामले में किस प्रकार सीटो तथा बगदाद सन्धि को लाया गया । आपने देखा कि किस तरह से एक गलत कदम कई गलत कदमों का कारण बनता है । अभी कुछ दिन हुए पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने बगदाद सन्धि के बारे में कहा था—उनकी भाषा बड़ी ही विचित्र थी—मैं तो ऐसा नहीं कह सकता । उन्होंने कहा था कि शून्य में शून्य जोड़ने से परिणाम शून्य ही रहता है । उनका अभिप्राय यह था कि जब तक इस संगठन में इंग्लैण्ड या अमेरिका जैसा बड़ा देश सम्मिलित न हो—तो उसके दूसरे सदस्य देश शस्त्रों की दृष्टि से शन्य के बराबर ही हैं । इसका आशय यह हुआ

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

कि इसका दूसरा पहलू भी है। जब एक देश जो अपने आपको शून्य समझता है किसी अंक के साथ मिलता है तब महत्व तो अंक का ही रहता है--शून्य का कोई महत्व नहीं रहता। इस कारण प्रत्येक बात दूसरे पहलू से निर्धारित होती है।

हाल की घटनाओं ने हमें बता दिया है कि चाहे काश्मीर हो या कोई अन्य देश—वहां पर विकास नहीं हो सकता यदि उसका अपना कोई इतिहास न हो। आप किसी देश पर कोई चीज लाद नहीं सकते। इसी प्रकार आप किसी देश की राष्ट्रीय जड़ें नहीं उखाड़ सकते। केन्द्रीय यूरोप में हंगरी में हमने हाल ही में देखा कि १० या ११ वर्षों की हकूमत से भी वहां की राष्ट्रीयता न दब सकी और वहां के लोगों ने डट कर मुकाबला किया। और भी बहुत सी बातें हैं किन्तु मैं तो इस मुख्य तथ्य का वर्णन कर रहा हूं—कि राष्ट्रीयता किसी देश की जड़ों में कितनी गहरी होती है। राष्ट्रीयता चाहे समाजवादी हो जाये या साम्यवादी यह दूसरी बात है। किन्तु राष्ट्रीयता लादी नहीं जा सकती। जिस देश में यह राष्ट्रीयता की जड़ें नहीं हैं वह देश बिना जड़ों के है।

अब यह जो सिद्धान्त रखा गया था दो राष्ट्रों का सिद्धान्त--भारत में स्वतंत्रता से पहले रखा गया था और हमारे पड़ोसी देश में अब भी इसकी आवाजें उठती है--यह सिद्धान्त देश को बिना जड़ों के बना देता है। इस सिद्धान्त के कारण देश के वास्तविक जीवन को भुलाना पड़ता है और पृष्ठभूमि के न होने के कारण इस सिद्धान्त से कोई और चीजें लादी जाती हैं--उसका परिणाम यह होता है कि देश में कठिनाइयां होती हैं। मौजूदा इतिहास में ये सब चीजें हमदेख सकते हैं। मैंने पास्कितान के लोगों से उनकी कठिनाइयों में सहानुभूति दिखाई है किन्तु उनकी मुख्य कठिनाई यह है कि उन्होंने अपने आपको उखाड़ लिया है--भारत के बारे में नहीं--और उन्होंने दो राष्ट्रों के सिद्धान्त पर हवा में कुछ बनाने की कोशिश की है। उसका परिणाम यह है कि वे नियंत्रण नहीं कर सकते और उन्हें सदैव विदेशी सहायता पर निर्भर करना पड़ता है--क्योंकि वह धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता निर्माण करना चाहते हैं। यह मध्ययुग की धारणा है। पुराने समय में यह बात सफल हो सकती थी क्योंकि संचार साधन कम थे और बहुत सी ऐसो बातें होती थीं जो आजकल नहीं हो सकतीं। किन्तु राष्ट्रीय राज्य से धर्म का नाता जोड़ना अवास्तविक है और बार बार कहने पर भी यह बात वास्तविक नहीं हो सकती--और जब काश्मीर से इस बात के जोड़ने का प्रयास किया जाता है यह बिल्कुल अवास्तविक हो जाती है। यह व्यर्थ बात है। काश्मीर में दोहरी राष्ट्रीयता का कोई प्रश्न नहीं है। हमारे मित्र--पाकिस्तान में तथा कुछ दूसरे देशों में--हम से यही बातें करते हैं।

काश्मीर के मामले में हम इन्हीं बुनियादी बातों को नहीं देखते--बल्कि वहां तो आधुनिकता तथा मध्य युगीन विचारधारा का बुनियादी झगड़ा है. प्रगति तथा प्रतिक्रिया का झगड़ा है. काश्मीर की जनता के कल्याण तथा उनकी बर्बादी के बोच टक्कर है। कुछ समय पूर्व पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को नहीं मानते। मुझे उसे पढ़ कर प्रसन्नता हुई थी क्योंकि मैं समझता था कि उससे अन्य लाभ होंगे। मुझे अब भी आशा है किन्तु दुर्भाग्य से नई दिशा में कदम रखना उसके लिये भी आसान नहीं है। शायद यह बात आहिस्ता आहिस्ता हो। इसी दो राष्ट्रों के सिद्धान्त के परिणामस्वरूप पूर्वी पास्कितान से इतने लोग बाहर निकाले गये हैं। जब तक यह सिद्धान्त रहेगा तब तक--चाहे दूसरे लोग बाहर निकाले जावें या न--उन लोगों म वास्तविक संतोष नहीं हो सकता जो इस प्रकार कम दर्जे के हो गये हैं।

यदि मैंने आलोचनाओं का उत्तर न दिया हो--सभा मुझे क्षमा करे। हम समय समय पर उन आलोचनाओं का उत्तर देते रहते हैं और भविष्य में भी देंगे। मैं केवल एक दो वक्तव्यों में जो दिये जा चुके हैं शुद्धि करूंगा। मैं समझता हूं कि कुछ विरोधी सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस दल को उद्योगपतियों ने बड़ी रकमें चन्दे में दी। उन्होंने कहा कि २५ लाख, ५० लाख तथा करोड़ों रुपये दिये गये। मुझे तो पता नहीं कि वे रकमें हैं कहां। मुझे यह पता है कि औद्योगिक नेताओं ने राजनैतिक दल को चन्दे दिये और हमने उन्हें स्वीकार किया। किन्तु जो आंकड़े हमें बताये गये हैं उनके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। ये रकमें कोई एक जगह तो रखी नहीं गईं। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि भारत में जो कुछ हुआ है उस के बारे में तथ्य है कि स्थानों की संख्या देखते हुये कांग्रेस ने प्रत्येक स्थान पर चुनाव लड़ने के लिये अन्य दलों की तुलना में कम व्यय किया है।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : टाटा ने १५ या २० लाख रुपये दिये हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं आपको अपनी जानकारी दे रहा हूं। मैं गलत हो सकता हूं। किन्तु आपको याद रखना चाहिये कि समवाय के हिसाब किताब में यह रकम होनी चाहिये-- उसे छिपाया नहीं जा सकता। मैं ईमानदारी से बताता हूं कि मुझे कुछ नहीं पता--यदि मैं जानता तो बता देता। मुझे साधारण सा पता है क्योंकि समय समय पर मुझे जानकारी मिलती रहती थी।

†**श्री कामत** : क्या प्रधान मंत्री को पता है कि टाटा कम्पनी वालों ने २० लाख रुपये का चन्दा दिया है। यह बात किसी से छिपी नहीं है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह बात किसी से छिपी नहीं है। आप ने टाटा का उल्लेख किया यह बात उनके हिसाब में आजायगी और इस बात में कोई भेद नहीं है। किन्तु यदि कोई ऐसी प्रक्रिया अपना ली जाये कि दलों की सारी रकमें बाद में बता दी जाया करें तो यह अधिक अच्छा होगा।

†**श्री कामत** : हमें मंजूर है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : एक और छोटा सा मामला है। श्री साधन चन्द्र गुप्त ने कहा कि लेडी माउंट बैटिन की सिफारिश से एक ब्रिटिश ने नागा पहाड़ियों का दौरा किया। यह कहा गया कि प्रधान मंत्री ने उसकी सिफारिश की। मैंने इस बात की जांच की--मुझे इसके सम्बन्ध में कुछ पता नहीं था। बाद में मुझे यह जानकारी मिली कि नागा पहाड़ियों में कोई अंग्रेज नहीं गया था और बेचारी लेडी माउंट बैटिन का उस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं था। कुछ वर्ष पहले एक मामला हुआ था जिसका नागा पहाड़ियों या माउंट बैटिन से कोई सम्बन्ध नहीं था। कुछ वनस्पति शास्त्रवेत्ता यहां आये थे और आसाम में गये थे। उनका सामान्य व्यवहार हमें पसंद नहीं आया--हमने उन्हें यह बात बता दी। हो सकता है कि इस घटना को इस से मिला दिया गया हो। यह बात अलग थी। कई बार विदेशियों को हमने यहां से चले जाने को भी कहा है।

मैं सभा से क्षमा मांगता हूं क्योंकि मैं आलोचनाओं का उत्तर नहीं दे सका हूं और सामान्य बातें मैंने कही हैं। किन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार करते समय हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ता है और इसी कारण मैं ने इस ढंग से बातें कहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सभा में संशोधनों पर मत लूंगा। मैं समझता हूं कि संशोधन संख्या १ के बारे में आग्रह नहीं किया जा रहा।

**संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।**

†मूल अंग्रेजी में

*अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ सभा में मतदान के लिए रखा गया संशोधन के पक्ष में १७ तथा विरोध में १७२ मत पड़े। संशोधन अस्वीकृत हुआ।*

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ९, १० तथा ११ प्रस्तुत नहीं किये गये। संशोधन संख्या ३, ४, ५, ६, ७ और ८ वापस लिये जा रहे हैं।

**संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये**

**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२ सभा में मतदान के लिये रखा गया। संशोधन के पक्ष में १८ तथा विरोध में १६८ मत पड़े। संशोधन अस्वीकृत हुआ।**

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या १३ संशोधन संख्या २ के अन्तर्गत आ जाता है।

***संशोधन संख्या १४ और १६ सभा की अनुमति से वापस लिये गये।***

†**अध्यक्ष महोदय** : *प्रश्न यह है :*

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो कि उन्होंने १८ मार्च, १९५७ को समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष देने की कृपा की है अत्यन्त आभारी है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

## *अनुदानों की अनपूरक मांगें (रेलवे)

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुदानों की निम्न अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई हैं। इन के लिये एक घंटा निश्चित हुआ है। प्रत्येक सदस्य को १० मिनट का समय मिलेगा——

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| २ | विविध व्यय . . . . . | १,००० रुपये |
| ३ | चालू लाइनों तथा अन्य लाइनों के लिये भुगतान . . | १०,३८,००० रुपये |
| ९ | साधारण संचालन व्यय-विविध व्यय . . . | ६३,३८,००० रुपये |
| २० | विकास निधि में विनियोग . . . . | ३,९५,६३,००० रुपये |

†**श्री नम्बियार** (मयूरम) : मैं मांग संख्या ९ के बारे में कहूंगा जो कि दुर्घटना ग्रस्त लोगों को मुआवजा आदि देने के बारे में है। इस सम्बन्ध में मैं अरियालूर दुर्घटना के बारे में कहना चाहता हूं। इस मामले में न्यायाधीश श्री एच० के० बोस ने जांच की। जांच केवल दोष जानने के लिये थी। हानि का अनुमान नहीं लगाया गया। इसलिये जो सरकारी अनुमान है उसी पर हम भरोसा करना है। सरकार के अनुसार १५४ व्यक्ति मरे और ७० व्यक्ति पहिचाने नहीं गये। इसलिये उन लोगों के परिवारों को प्रतिकर देने के प्रश्न का निश्चय नहीं हुआ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत की गई।